विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L00-30/16

मेसर्स जी.एम. मेटल्स, — आवेदक
प्रो. — श्री अनिल चौहान,
53, प्रिती नगर, पीथमपुर
जिला— धार (म.प्र.)

विरूद्ध

कार्यपालक यंत्री (संचा./संधा.) — अनावेदक
म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि.,
पीथमपुर, धार (म.प्र.)

आदेश

(दिनांक 18.05.2017 को पारित)

01 मेसर्स जी.एम. मेटल्स, पीथमपुर, धार द्वारा विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इंदौर के पत्र दिनांक 25.02.2017 से असंतुष्ट होकर अपील अभ्यावेदन दिनांक 10.03.2017 प्रस्तुत किया गया है।

02 विद्युत लोकपाल कार्यालय में उक्त अभ्यावेदन को प्रकरण क्रमांक एल00—30/16 में दर्ज कर तर्क हेतु उभय पक्षों को सुनवाई के लिए बुलाया गया ।

03 आवेदक द्वारा बताया गया कि सतर्कता विभाग इंदौर द्वारा निरीक्षण के उपरांत प्रस्तुत डिमाण्ड नोट में उल्लेखित बकाया राशि रूपये 1,64,592/— काल वाधित होने के कारण वसूल करने योग्य नहीं है, अतः उनके द्वारा एक शिकायत विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इंदौर में दिनांक 27.2.2017 को प्रस्तुत की थी। फोरम द्वारा उनकी शिकायत को गुणदोष के आधार पर निराकृत नहीं कर केवल इस आधार पर कि चूंकि रिकवरी विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 के अंतर्गत निकाली गई है, अतः फोरम को उक्त शिकायत सुनने की अधिकारता नहीं है, शिकायत निरस्त कर दी गई एवं सक्षम अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये। इस कारण आवेदक द्वारा विद्युत लोकपाल के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई।(ओई—1)

04 उपरोक्त अपील पर दिनांक 10.4.2017 को सुनवाई प्रारंभ की गई जिसमें आवेदक के सलाहकार श्री जे.जी. थोमरे उपस्थित हुए तथा अनावेदक की ओर से कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ तथा ई—मेल द्वारा अगली तिथि देने का अनुरोध किया गया। आवेदक के सलाहकार द्वारा अपील अभ्यावेदन पर अतिरिक्त लिखित वहस प्रस्तुत की गई जिसकी प्रति अगली सुनवाई के नोटिस के साथ अनावेदक को भेजी गई।

05 दिनांक 25.4.2017 को पुनः सुनवाई प्रारंभ की गई जिसमें उभय पक्ष उपस्थित हुए। परन्तु अनावेदक की ओर से अवगत कराया गया कि प्रकरण में पैरवी हेतु अधिवक्ता की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है अतः एक अन्य तिथि सुनवाई हेतु देने का अनुरोध किया गया। अनावेदक के अनुरोध को स्वीकार कर अगली तिथि दिनांक 9.5.2017 सुनवाई हेतु नियत की गई।

06 दिनांक 09.05.2017 को आवेदक के सलाहकार श्री जे.जी. थोमरे एवं अनावेदक की ओर से श्री एन.एस. मण्डलोई, अधीक्षण यंत्री (सतर्कता), श्री सी.ए. ठकार, कार्यपालन यंत्री एवं श्री अशीष जैन, विधि सहायक उपस्थित हुए। अनावेदक की ओर से अपना लिखित उत्तर प्रस्तुत किया गया जिसकी प्रति आवेदक को उपलब्ध कराई गई।

अनावेदक द्वारा अपने प्रति उत्तर में मुख्यतः 3 बिन्दु निम्नानुसार प्रस्तुत किये–

07 उपभोक्ता फोरम द्वारा आवेदक की शिकायत इस आधार पर निरस्त कर दी गई कि उन्हें विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 के प्रकरणों में सुनवाई का अधिकार नहीं है, जिसका कि उल्लेख मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2009 की कंडिका 3.3 में भी किया है। अतः प्रस्तुत अपील इस विनियम के तहत विद्युत लोकपाल को भी सुनने का अधिकार नहीं है। चूंकि इसी विनियम की कंडिका 4.11 में विद्युत लोकपाल के क्या–क्या कर्त्तव्य हैं, का उल्लेख किया गया है जिसमें कि विद्युत अधिनियम 2003 के भाग 10, 11, 12, 14 एवं 15 के अनुसार सुनवाई का अधिकार नहीं है, अतः अपील खारिज की जाए।

08 अनावेदक द्वारा अपने प्रतिउतत्र के बिन्दु क्रमांक 15 में इस बात का उल्लेख किया है कि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56(2) विद्युत के अनाधिकृत उपयोग के प्रकरण में लागू नहीं होता है। इस संबंध में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56(2) का अवलोकन किया गया जो निम्नानुसार है –

56(2) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस धारा के अधीन किसी उपभोक्ता से शोध्य (वसूली योग्य) कोई रकम उस तारीख से जब ऐसी रकम प्रथमतः शोध्य हो गई है दो वर्ष की कालावधि के पश्चात् वसूल किये जाने योग्य नहींहोगी जब तक ऐसी रकमसप्लाई की गई विद्युत के बकाया चार्जेज के रूप में वसूली योग्य निरंतर न दर्शाई गई हो, और लायसेन्सी विद्युत की सप्लाई विच्छेद नहीं करेगा/ नहीं काटेगा।

उपरोक्त के अनुसार कहीं भी इसका उल्लेख नहीं है कि विद्युत का अनाधिकृत उपयोग के प्रकरण में निकाली गई राशि पर यह कंडिका प्रभावशील नहीं होगी। जबकि कंडिका 56(1) में स्पष्ट उल्लेख है कि कोई भी व्यक्ति विद्युत के लिए किसी चार्ज के भुगतान या अन्य किसी रकम देने की अव्हेलना करता है तो अनुज्ञप्तिधारी द्वारा 15 दिन का नोटिस देकर विद्युत कनेक्शन विच्छेदित कर सकता है। इससे स्पष्ट है कि विद्युत बिल के अलावा अन्य कोई भी रिकवरी के लिए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56(2) भी लागू होगी, अतः अनावेदक की उक्त आपत्ति खारिज की जाती है।

09 अनावेदक द्वारा अपने प्रति उत्तर में माननीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इंदौर द्वारा एक प्रकरण कुतुबुद्दीन विरूद्ध म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि. के निर्णय का उल्लेख

किया है जिसका अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि उक्त प्रकरण निश्चित तौर पर विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 के अंतर्गत रिकवरी के संबंध था जिसको उपभोक्ता द्वारा न्यायालय में चुनौती दी गई थी। परन्तु यहॉ प्रस्तुत अपील में आवेदक द्वारा सतर्कता विभाग द्वारा उनके परिसर में लोड अधिक पाये जाने पर धारा 126 के अंतर्गत बनाये गये प्रकरण एवं उसके विरूद्ध निकाली गई रिकवरी पर कोई चुनौती पेश नहीं की गई, उनके द्वारा उक्त रिकवरी हेतु डिमाण्ड नोट 2 वर्ष से अधिक की अवधि व्यतीत होने के कारण उन्हें दिये जाने के कारण धारा 56(2) के तहत अपील प्रस्तुत की है जिस पर विद्युत लोकपाल द्वारा सुनवाई की जा सकती है एवं प्रकरण का निराकरण सुनवाई के उपरांत गुणदोष के आधार पर किया जा सकता है। अतः अनावेदक की सभी आपत्तियों को अमान्य करते हुए प्रकरण में सुनवाई जारी रखी गई।

10 अनावेदक को विद्युत लोकपाल द्वारा कहा गया कि उनका प्रतिउत्तर विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 के आधार पर है तथा उसमें उठाई गई आपत्ति को उपरोक्त वर्णित कारणों से खारिज कर दिया गया। अब इसके अलावा कोई और तर्क या लिखित वहस प्रस्तुत करना हो तो उसके लिए समय दिया जा सकता है। इस पर अनावेदक द्वारा कहा गया कि हमने अपनी लिखित वहस प्रस्तुत कर दी है जिसके आधार पर ही निर्णय लिया जाए। उभय पक्षों द्वारा दिये गये तर्क, लिखित वहस की विवेचना करने के उपरांत प्रकरण आदेश के लिए सुरक्षित रखा गया।

उपरोक्त दोनों पक्षों की लिखित वहस एवं तर्क के आधार पर निम्न तथ्य सामने आये–

11 अनावेदक द्वारा बताया गया कि आवेदक का विद्युत कनेक्शन दिनांक 16.4.2013 को सतर्कता दल द्वारा चैक किया गया जिसमें कि कुल भार 46 एचपी पाया गया जो कि स्वीकृत भार 25 एचपी से अधिक था जिस हेतु आवश्यक पंचनामा स्थल पर बनाया गया। (ओई–2)

12 अनावेदक द्वारा बताया गया कि लोड अधिक पाये जाने पर आवेदक का निर्धारण आदेश 01.08.2014 को रूपये 1,64,592/– का बनाया गया। (ओई–3)

13 अनावेदक द्वारा बताया गया कि निर्धारण आदेश दिनांक 1.8.2014 को डाक द्वारा भेजा गया (ओई–4) तथा दिनांक 1.8.2014 को ही एक अन्य डिमाण्ड नोट रूपये 47,250/– लोड बढ़ाने हेतु भेजा गया परन्तु आवेदक द्वारा कोई राशि जमा नहीं की गई।

14 आवेदक द्वारा बताया गया कि उनके यहॉ दिनांक 16.2.2017 को विद्युत विभाग से लाईनमैन मेरे वर्कशाप पर आये और कहा कि आपका कनेक्शन काट दिया जावेगा, आप सहायक यंत्री, पीथमपुर से बात कर लें। जब सहायक यंत्री से मिलने पर उनके द्वारा कार्यपालन यंत्री, पीथमपुर से चर्चा करने हेतु कहा।

15 आवेदक द्वारा कार्यपालन यंत्री से मिलने पर उन्हें स्लिप पर प्रकरण नम्बर देकर कहा कि सतर्कता विभाग इंदौर में चर्चा कर लें, क्योंकि उनके यहॉ से एक रिकवरी की सूची आई है उसमें आपका नाम है।

16 आवेदक दिनांक 18.2.2017 को सतर्कता विभाग इंदौर पहुंचकर अधीक्षण यंत्री सतर्कता से चर्चा की गई एवं उन्हें कार्यपालन यंत्री, पीथमपुर द्वारा सौपी गई स्लिप दी तब उनके द्वारा

फाईल आवेदक को दिखाई गई एवं आवेदन लेकर पंचनामा एवं निर्धारण आदेश की फोटो कापी आवेदक को दी गई।

17 आवेदक द्वारा सतर्कता विभाग इंदौर से सूची प्राप्त की गई जिसमें कि पेज नं. 2 पर मेसर्स जी.एम. मेटल्स का नाम होकर निर्धारण आदेश एवं तारीख 1.8.2014 उल्लेख है जिसमें कि रूपये 1,64,590/– एवं रूप्ये 47,250/– की रिकवरी दर्शायी गई है। (ओई–7)

18 आवेदक द्वारा बताया गया कि उनका विद्युत कनेक्शन बिना पूर्व सूचना व नोटिस के दिनांक 17.2.2017 को विच्छेदित कर दिया गया।

19 आवेदक द्वारा बताया गया कि कार्यपालन यंत्री, पीथमपुर से अनुरोध करने पर कि वे एकमुश्त पैसा जमा करने की स्थिति में नहीं है तथा विद्युत कनेक्शन विच्छेदित होने से कार्य बंद हो गया। जिस पर कार्यपालनयंत्री द्वारा 21.2.2017 को 40000/– रूपये जमा करके तथा यह सहमति लेने पर कि शेष राशि 21.3.2017 को जमा कर देंगे, विद्युत कनेक्शन जोड़ दिया गया। (ओई–6)

20 आवेदक द्वारा बताया गया कि उनके परिसर का निरीक्षण किये जाने के पश्चात जो निर्धारण आदेश दिनांक 1.8.2014 (ओई–7) को जारी होना बताया गया जबकि कनेक्शन विच्छेदित होने तक मुझे उक्त निर्धारण आदेश बाबत कोई जानकारी नहीं थी । अतः उक्त रिकवरी विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56(2) के तहत काल वाधित हो चुकी है जिसके लिए मेरे द्वारा फोरम में शिकायत प्रस्तुत की थी परन्तु फोरम द्वारा यह कहकर शिकायत निरस्त कर दी गई कि उन्हें धारा 126 के प्रकरण सुनने का कोई अधिकार नहीं है। इससे क्षुब्ध होकर हमारे द्वारा विद्युत लोकपाल में अपील प्रस्तुत की गई।

21 उभय पक्षों द्वारा किये गये तर्क एवं लिखित वहस सुनने के पश्चात एवं प्रकरण में कोई निर्णय लेने के पूर्व विद्युत अधिनियम 2003 में दिये गये प्रावधान एवं विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी विद्युत प्रदाय संहिता 2013 तथा मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2009 में दिये गये प्रावधानों का अवलोकन किया गया । जिसके अनुसार–

ए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 की उपधारा 2 जो निम्नानुसार है –

126 (2) The order of provisional assessment shall be served upon the person in occupation or possession or in charge of the place or premises in such manner as may be prescribed.

उपरोक्त बिन्दु के संबंध में मध्यप्रदेश शासन ने अपनी अधिसूचना क्रमांक 4300–13–2004 दिनांक 22.7.2004 में उल्लेख किया है कि निर्धारण अधिकारी द्वारा अनंतिम निर्धारण आदेश उस व्यक्ति को जो विद्युत का अनाधिकृत उपयोग करने में लिप्त था, निरीक्षण तारीख से 5 दिन के अंदर निर्धारण आदेश तामील किया जाएगा । इसी अधिसूचना में अनंतिम निर्धारण आदेश तामील करने का प्रारूप भी निर्धारित किया गया है। अनंतिम निर्धारण आदेश प्राप्त होने के पश्चात 7 दिन के भीतर उस व्यक्ति को अपनी आपत्ति प्रस्तुत करने का प्रावधान है एवं अनंतिम आदेश के विरूद्ध आपत्ति लिये जाने पर आपत्ति का निराकरण उस व्यक्ति को

सुनवाई के पश्चात अनुज्ञप्तिधारी/अनावेदक द्वारा 30 दिन के अंदर प्रकरण का निराकरण करना है। (ओई–8)

बी मध्यप्रदेश शासन द्वारा नोटिस, आदेश तथा दस्तावेज के तामील करने के नियम की अधिसूचना क्रमांक 2312–तेरह–2006 दिनांक 7.4.2006 जारी की है जिसमें नोटिस, आदेश एवं दस्तावेज को कूरियर या रजिस्टर्ड पत्र पावती सहित से भेजा जाना है। संबंधित व्यक्ति द्वारा तामीली न लेने पर दो व्यक्तियों के गवाहों में नोटिस परिसर के सहजदृश्य भाग में दो साक्षियों की उपस्थिति में चश्पा करना है तथा संबंधित व्यक्ति के रहने या कारोबार के ज्ञात स्थान के क्षेत्र में परिचलन वाले समाचार पत्र में नोटिस, आदेश तथा दस्तावेज का प्रकाशन किया जाना है। (ओई–9)

सी मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2009 की कंडिका 3.3 के अनुसार विद्युत लोकपाल को विद्युत अधिनियम 2003 के भाग 10, 11, 12, 14 एवं 15 के अनुसार सुनवाई का अधिकार नहीं है जबकि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56(2) भाग 6 के अंतर्गत है जिस पर सुनवाई करने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया।

डी विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56(2) के प्रावधान निम्नानुसार हैं –

56(2) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, no sum due from any consumer, under this section shall be recoverable after the period of two years from the date when such sum became first due unless such sum has been shown continuously as recoverable as arrear of charges for electricity supplied and the licensee shall not cut off the supply of the electricity:

उपरोक्त से स्पष्ट है कि विद्युत बिल अथवा कोई अन्य राशि जो कि व्यक्ति से ली जानी है दो साल की अवधि के पश्चात वसूल की जाने योग्य नहीं होगी। जब तक की उसे बकाया चार्ज के रूप में वसूली योग्य राशि निरंतर न दर्शायी गई हो।

ई मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कंडिका 8.33 जो निम्नानुसार है का अवलोकन किया गया –

8.33 अतिरिक्त प्रतिभूति निक्षेप की मांग को छोड़कर, अंकेक्षण (audit) अथवा सतर्कता (vigilance) संबंधी वसूली तथा अन्य बकाया राशि की वसूली के लिये अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पृथक देयक मासिक आधार पर जारी किये जाएंगे जिसके अन्तर्गत ऐसे देयकों के साथ देयक तैयार करने के आधार का विवरण तथा देयक की अवधि इत्यादि लिखित में प्रदान की जाएगी। उपरोक्त देयकों का भुगतान निर्दिष्ट की गई अवधि (जो 15 पूर्ण दिवस से कम न होगी) की बकाया राशि को उपभोक्ता के आगामी देयकों में निरन्तर जोड़ा जाएगा जब तक उपभोक्ता द्वारा देयक का भुगतान नहीं कर दिया जाता है या अन्यथा उसका समायोजन नहीं कर दिया जाता।

उपरोक्त प्रावधान में भी यह स्पष्ट है कि अंकेक्षण एवं सतर्कता संबंधी वसूली तथा अन्य व्यय किसी की वसूली के लिए अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पृथक देयक जारी किया जाएगें जिसमें कि देयकों के साथ देयक तैयार करने का आधार का विवरण, देयक की अवधि के बारे में सूचना प्रदान की जाएगी। उपरोक्त देयकों के भुगतान हेतु कम से कम 15 दिन की अवधि देनी होगी तथा उसके बाद भुगतान नहीं करने पर उपभोक्ता के आगामी देयक में राशि निरंतर जोड़ी जाएगी जबकि कि उपभोक्ता द्वारा भुगतान नहीं कर दिया जाता या उसका समायोजन नहीं कर दिया जाता।

उभय पक्षों द्वारा दिये गये तर्क एवं प्रस्तुत लिखित वहस के आधार पर निष्कर्ष निकलता है कि –

22 आवेदक के विद्युत कनेक्शन का निरीक्षण दिनांक 16.4.2013 को किया गया। निरीक्षण के दौरान परिसर में 46 एचपी का लोड पाया गया जबकि स्वीकृत भार 25 एचपी था। अतः अनाधिकृत विद्युत उपयोग करने पर निर्धारण आदेश दिनांक 1.8.2014 को जारी किया गया अर्थात निरीक्षण की तिथि से 1 वर्ष 4 माह की अवधि के पश्चात।

जबकि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 में दिये गये प्रावधान के अनुसार एवं म.प्र. शासन द्वारा जारी अधिसूचना (ओई–8) के अनुसार निरीक्षण तिथि से 5 दिन के भीतर अनंतिम निर्धारण आदेश आवेदक को दिया जाना था। अनावेदक द्वारा अनंतिम निर्धारण आदेश को डाक से भेजा जाना बताया इस प्रकार उनके द्वारा आवेदक को अनंतिम आदेश पर आपत्ति एवं उसकी सुनवाई किये जाने हेतु कोई मौका नहीं दिया गया।

23 आवेदक द्वारा यह बताया गया कि उनके द्वारा दिनांक 1.8.2014 को अनंतिम निर्धारण आदेश आवेदक डाक से भेजा गया। अनावेदक द्वारा इस संबंध में म.प्र. शासन द्वारा जारी अधिसूचना (ओई–9) के तहत निर्धारित प्रक्रिया नहीं अपनाई गई एवं आवेदक से निर्धारण आदेश की प्राप्त होने की पावती नहीं ली गई।

24 अनावेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज (ओई–5) के अनुसार अंतिम निर्धारण आदेश में दर्शाई गई राशि की वसूली हेतु डिमाण्ड नोट जारी किया गया जिस पर कोई तिथि नहीं डाली गई जो कि निश्चित रूप से उनके स्तर से हुई लापरवाही को छुपाने हेतु की गई कार्यवाही प्रतीत होती है। अनावेदक द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह स्पष्ट हो सके कि आवेदक को रूपये 1,64,592/– जमा करने हेतु कोई नोटिस तामील किया हो।

25 अनावेदक का यह कथन कि उनके द्वारा आवेदक को अनंतिम निर्धारण आदेश रूपये 1,64,592/– का डाक से दिनांक 1.8.2014 को भेजा गया, जिसे मान भी लिया जाए तो 15 दिन की नोटिस अवधि समाप्त होने पर उक्त राशि का भुगतान न करने पर आवेदक का कनेक्शन विच्छेदित किया जाना था अथवा म.प्र. विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी विद्युत प्रदाय संहिता, 2013 की प्रावधान 8.33 के अनुसार उक्त राशि को आवेदक के मासिक नियमित बिल में बतौर बकाया राशि दर्शाते हुए देयक प्रेषित किया जाना था। परन्तु अनावेदक द्वारा इस प्रावधान के तहत भी कोई कार्यवाही नहीं की गई।

26 अगर अनावेदक द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 4300–13–2004 दिनांक 22.7.2004 एवं क्रमांक 2312–तेरह–2006 दिनांक 7.4.2006 में बनाये गये नियम एवं क्रियान्वयन की विधि का अनुसरण किया जाता तो अनावेदक से चूक नहीं होती। परन्तु उनके द्वारा लापरवाही बरती गई जिससे कि प्रकरण में निकाली गई रिकवरी विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56 (2) के अनुसार काल वाधित हुई।

27 अनावेदक द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56(1) का उल्लंघन कर बिना 15 दिन का नोटिस दिये कनेक्शन 17.2.2017 को विच्छेदित कर दिया गया तथा 21.2.2017 को आवेदक द्वारा अनुरोध करने पर कार्यपालन यंत्री, पीथमपुर द्वारा उक्त बकाया राशि में से रू. 40,000/– जमा कराकर कनेक्शन जोड़ा गया।

28 आवेदक को प्रथम बार उक्त वसूली हेतु डिमाण्ड नोट एवं निर्धारण आदेश दिनांक 18.2.2017 को जारी किया गया। अर्थात विद्युत कनेक्शन के निरीक्षण दिनांक 16.4.2013 के 4 वर्ष के पश्चात उनके विरूद्ध बकाया राशि रूपये 1,64,592/– के बारे में जानकारी दी गई । जबकि अनावेदक को आवेदक के परिसर के निरीक्षण के पश्चात ही अनावेदक को यह ज्ञात था कि परिसर में विद्युत भार अधिक पाये जाने पर पूरक बिलिंग की जानी थी तथा जिसका कि निर्धारण कापी विलम्ब से उनके द्वारा 1.8.2014 को ही किया गया, उसके उपरांत भी दिनांक 18.2.2017 तक आवेदक को उक्त राशि की वसूली हेतु कोई नोटिस, आदेश तामील नहीं किया गया। इस प्रकार यह राशि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56(2) के तहत काल वाधित होकर वसूली करने योग्य नहीं रही । यदि अनुज्ञप्तिधारी चाहे तो अपने स्तर से इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारी के विरूद्ध जॉच कर आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही कर सकता है।

अतः उपरोक्त निष्कर्षों के आधार पर आदेशित किया जाता है कि –

अ आवेदक के विरूद्ध निकाली गई रिकवरी रूपये 1,64,592/– विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56(2) के अनुसार काल वाधित हो चुकी है, अतः इस राशि की रिकवरी निरस्त की जाती है।

ब आवेदक द्वारा जमा की गई राशि रूपये 40,000/– का समायोजन भी उनके आगमी विद्युत देयकों में किया जाए।

स फोरम पत्र दिनांक 25.02.2017 अमान्य किया जाता है।

द उभय पक्ष प्रकरण में हुए व्यय को अपना–अपना वहन करेंगे।

29 आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो । आदेश की निःशुल्क प्रति पक्षकारों को दी जाए ।

विद्युत लोकपाल

प्रतिलिपि :

1. आवेदक की ओर प्रेषित ।
2. अनावेदक की ओर प्रेषित ।
3. फोरम की ओर प्रेषित ।

विद्युत लोकपाल